

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, सहरसा

अधिकार वाद सं०-859/2022

1. परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह, पिता-स्व० खोखस साह,
साकिन-आरापट्टी, टोला-मुरली, थाना-महिषी, जिला-सहरसा।

..... वादी।

बनाम

1. नवल कुमार चौधरी, पिता-स्व० शत्रुधन चौधरी,
2. चन्द्र किशोर चौधरी, पिता-स्व० शत्रुधन चौधरी,
3. बिन्दुला देवी, पति-स्व० शत्रुधन चौधरी,
4. रंजीत चौधरी, पिता-स्व० शत्रुधन चौधरी,
5. राजीव कुमार, पिता-स्व० शत्रुधन चौधरी,
6. पूजा देवी, पति-स्व० सदाशिव चौधरी,

सभी साकिनान-आरापट्टी, टोला-मुरली, थाना-महिषी, जिला-सहरसा।

..... प्रतिवादीगण।

वादी के विद्वान अधिवक्तागण श्री सच्चिदानन्द यादव,
श्री भोगेन्द्र मिश्र,
श्री धर्मदेव तौती,

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता X

आदेश

06.09.2024

वादी की ओर से हाजरी दी गई। इस वाद में वाद ग्रहण पश्चात न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध सम्मन वो निबंधित नोटिश निर्गत किया गया। तत्पश्चात दिनांक-28.02.2023 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्राप्त तामिला के आधार पर तामिला संतोषप्रद मानते हुए दिनांक-28.03.2023 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात आज यह वाद एकपक्षीय सुनवाई पश्चात एकपक्षीय आदेश हेतु निश्चित है।

वादी ने प्रस्तुत वाद वर्ष 2022 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र में दर्ज निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दाखिल किया है :-

1. (क) कि घोषित किया जाय कि निबंधित बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 ई० नविस्ते प्रतिवादी नवल किशोर चौधरी वगैरह वहक वादी परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह में प्रतिवादीगण ने वाद पत्र अनुसूची 01 के बदले वाद पत्र अनुसूची 02 की भूमि गलत दर्ज कर दिया है जो वादी पर बंधनकारी नहीं है।

लगातार06.09.2024

- (ख) कि घोषित किया जाय कि दिनांक-05.02.2000 ई० से वादी का स्वत्व अधिकार वाद पत्र अनुसूची 01 की भूमि पर कायम है वो रहेगा, इस भूमि से प्रतिवादीगण को कोई हक या सरोकार नहीं है वो नहीं रहेगा।
- (ग) कि मोकदमा का खर्चा एवं अनुतोष जो मुनासिब हो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाय।

अनुसूची-01

मौजा-आरापट्टी, थाना नं०-86, थाना व अंचल-महिषी, जिला-सहरसा।

<u>खाता</u>	<u>खेसरा</u>	<u>रकवा</u>	<u>चौहद्दी</u>
66 नया	1521 नया	03 कट्ठा यानि 13 डीसमल	उ०-खरीददार, द०-नीज, पु०-अर्जुन चौधरी, प०-गुणेश्वर साह,

अनुसूची-02

मौजा-आरापट्टी, थाना नं०-86, थाना व अंचल-महिषी, जिला-सहरसा।

<u>खाता</u>	<u>खेसरा</u>	<u>रकवा</u>	<u>चौहद्दी</u>
66 नया 725 पुराना	1510 नया 1398 पुराना	03 कट्ठा यानि 13 डीसमल	उ०-नीज मोकीर, द०-खरीददार, पु०-गुणेश्वर साह, प०-चन्द्रशेखर झा वगैरह,

2. वादी का वाद पत्र के आधार पर संक्षिप्त में वाद यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू मिताक्षरा शास्त्र के अनुयायी और अपने-अपने परिवार के कर्त्ता एवं प्रबंधक हैं। प्रतिवादीगण निबंधित बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 को मुल्यवान कीमत प्राप्त कर वादी को बिक्री किए जो मौजा-आरापट्टी, टोला-मुरली, थाना नं०-86, अंचल-महिषी, जिला-सहरसा, के खाता पुराना-725, खाता नया-66, खेसरा पुराना-1398, खेसरा नया-1510, रकवा-03 कट्ठा, चौहद्दी : उत्तर-नीज मोकीर, दक्षिण-खरीददार, पुरब-गुणेश्वर साह, पश्चिम-चन्द्रशेखर झा वगैरह दस्तावेज में दर्ज है, जबकि उक्त जमीन प्रतिवादीगण ने खेसरा नया-1510 का कुल रकवा दिनांक 11.05.1999 एवं 11.05.1999 से पूर्व ही बिक्री कर चुके हैं। वास्तव में प्रतिवादीगण ने खाता नया-66, खेसरा-1521, रकवा-01 एकड़ 13 डी० में से 03 कट्ठा यानि 13 डीसमल चौहद्दी : उत्तर-खरीददार, दक्षिण-नीज, पूरब-अर्जुन चौधरी, पश्चिम-गुणेश्वर साह बिक्री हुआ था जिस पर वादी को दखल मिला था और वादी केवाला की तिथि दिनांक 05.02.2000 से खेसरा नया-1521 पर जोत आबाद कर दखलकार चले आ रहे हैं। चूँकि वादी अनपढ़ वो गवारू है इसलिए वादी को कुछ भी ईल्म इस बात का नहीं

लगातार06.09.2024

रहा और खेसरा-1521 का जोत आबाद करते रहे। वादी ने स्थानीय अमीन से दिनांक 12.01.2022 को नापी कराया तो पता चला कि 1521 खेसरा के रकवा 03 कट्ठा पर वादी दखलकार हैं तो वादी ने प्रतिवादीगण से खेसरा और चौहद्दी सुधार कर मरम्मतनामा दस्तावेज लिख देने का आग्रह किया। प्रतिवादीगण आज कल करके टाल-मटोल करते रहे। अन्ततः दिनांक 02.07.2022 को प्रतिवादीगण को लीगल नोटिस निबंधित डाक से भेजा गया किन्तु लीगल नोटिस प्राप्ति उपरांत दिनांक 05.08.2022 को मरम्मतनामा दस्तावेज लिखने से इन्कार कर दिए। साथ ही जमीन से भगाने का धमकी देने लगे तब वादी द्वारा यह वाद दाखिल किया गया। विवादी भूमि अन्दर मौजा-आरापट्टी, टोला मुरली, थाना नं०-86, अंचल वो थाना-महिषी, जिला-सहरसा खाता नया-66, खेसरा नया-1521, रकवा-01 एकड़ 13 डीसमल में 13 डीसमल जिसका चौहद्दी उत्तर-खरीददार यानि कि वादी, दक्षिण-नीज यानि कि प्रतिवादी, पूरब-अर्जुन चौधरी, पश्चिम-गुणेश्वर साह है इसे पूर्ण विवरण के साथ वाद पत्र के अनुसूची 01 में दर्ज किया गया है जिस पर विपरीत दखल कब्जा के आधार पर दिनांक-05.02.2000 से वादी का स्वत्व अधिकार कायम है। बिक्रय दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 नविस्ते नवल किशोर चौधरी वगैरह वहक परमेश्वरी साह के वादी का दखल कायम है इसलिए दस्तावेज दिनांक-05.02.2000 में दर्ज भूमि को वाद पत्र के अनुसूची 02 में दर्ज किया गया है जो भूमि खेसरा नया-1510, रकवा-81 डीसमल में से 20 डीसमल गुणेश्वर साह पिता-बुचन साह को एवं 39 डीसमल सिरु साह वो शत्रुघन साह वो रंजीत साह, पिता-गुणेश्वर साह को व 22 डीसमल परमेश्वरी साह, पिता-खोखस साह यानि वादी को बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2683, दिनांक-11.05.1999 को ही प्रतिवादीगण ने बिक्री किया है और पुनः वादी ने जब प्रतिवादीगण से खाता नया-66, खेसरा-1521 से 03 कट्ठा वाद पत्र के अनुसूची 01 की भूमि खरीदगी की बात पक्का कर खरीद किए तो प्रतिवादीगण ने बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 से बिक्री कर वादी को दखल दे दिए किन्तु वाद पत्र अनुसूची 01 की भूमि बिक्री कर दखल दिए किन्तु प्रतिवादीगण ने कातिब को मेल में लेकर वाद पत्र के अनुसूची 01 के बदले अनुसूची 02 दस्तावेज में दर्ज करवा दिए। चूंकि वादी को प्रतिवादीगण पर पूर्ण विश्वास था कि गलत नहीं करेंगे, फिर भी प्रतिवादीगण ने जानबूझकर गलत किया है। मौजा-आरापट्टी, अंचल-महिषी, थाना नं०-86, थाना-महिषी, जिला-सहरसा खाता नया-66, खेसरा नया-1510 एवं 1521 वो अन्य भूमि नाम से उपमावती चौधराईन, पति-झपट चौधरी के फाईनल खतियान दर्ज है। वादी को दिनांक-12.01.2022 को अमीन द्वारा नापी के दौरान जानकारी हुई कि वादी की खरीदगी वाद पत्र में वर्णित अनुसूची 01 की भूमि दस्तावेज संख्या-2070,

लगातार06.09.2024

दिनांक-05.02.2000 में दर्ज नहीं है बल्कि अनुसूची 02 की भूमि में दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को दस्तावेज दिनांक 05.02.2000 के मरम्मतनामा दस्तावेज लिख देने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण आज-कल करते रहे वो अंतिम रूप से मरम्मतनामा दस्तावेज लिखने से इंकार कर दिया गया तब वादी को वाद दायर करना पड़ा। वादी के द्वारा क्षेत्राधिकार हेतु वाद का मूल्यांकन मो०-1,51,000/-रु० किया गया है, परन्तु घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने हेतु कोर्ट फीस मो०-500/-रु० न्याय शुल्क दाखिल किया गया है। तब दिनांक-03.01.2023 को वाद ग्रहण किया गया। वाद ग्रहण के पश्चात विपक्षी को दोनों विधि से सम्मन निर्गत किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के विरुद्ध तामिला संतोषप्रद मानते हुए उनके विरुद्ध दिनांक-28.03.2023 को एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित कर वाद वादी के साक्ष्य हेतु निश्चित किया गया।

3. प्रस्तुत वाद में वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में **तीन** साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है।

वादी साक्षी संख्या-01 परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह (स्वयं वादी),
 वादी साक्षी संख्या-02 मन्दु मिस्त्री,
 वादी साक्षी संख्या-03 माणिक चन्द्र यादव,

वादी साक्षी संख्या-01 परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह हैं जिन्होंने वाद का समर्थन करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं इस मोकदमा में वादी हूँ तथा मोकदमा के तथ्यों से अवगत हूँ। मैंने यह केस नवल किशोर चौधरी, चन्द्र किशोर चौधरी, बिन्दुला देवी, रंजीत चौधरी, राजीव कुमार एवं पूजा देवी पर किया है। विवादी भूमि मौजा-आरापट्टी के वाद पत्र के अनुसूची-01 में दर्ज अंचल व थाना-महिषी, थाना नं०-86, के खाता नया-66, खेसरा नया-1521, रकवा-03 कट्ठा, चौहद्दी : उत्तर-खरीददार, दक्षिण-नीज, पुरब-अर्जुन चौधरी, पश्चिम-गुनेश्वर साह, है। निबंधित बिक्रय पत्र मूल केवाला नविस्ते नवल किशोर चौधरी वगैरह वहक परमेश्वरी साह बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 में बिक्रेता प्रतिवादीगण ने अनुसूची 01 के चौहद्दी के अनुसार जमीन बिक्री किया और खरीदगी तिथि 05.02.2000 को दखल भी दे दिया, किन्तु केवाला में चौहद्दी अनुसूची 02 के अनुसार गलत दर्ज किया है। असल केवाला प्रतिवादी नवल किशोर चौधरी, चन्द्र किशोर चौधरी, शत्रुघन चौधरी वो राजीव कुमार चौधरी वो सदाशिव कुमार चौधरी के कहने पर कातिब श्री मोहम्मद सहीम उद्दीन, साकिन-सिटानाबाद ने लिखा और पढ़कर प्रतिवादीगण विक्रेता को सुना दिया, जिसे सुन व समझ कर सभी ने अपना-अपना हस्ताक्षर किया। परीक्षण के दौरान साक्षी के पहचान पर दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 को प्रदर्श-01 अंकित किया गया। वाद पत्र के अनुसूची 01 की जमीन पर मैं 05.02.2000 से दखलकार हूँ। जिसे 05.02.2012 को 12 वर्ष से अधिक हो गया है इसलिए इस जमीन पर मेरा हकियत वो दखल कायम हो गया है। प्रतिवादीगण चौहद्दी के अनुसार विवाद करने लगे तो यह मोकदमा करना पड़ा। केवाला में चौहद्दी नया खेसरा 1510 पुराना खेसरा 1398 का दर्ज कर दिया है, जबकि उक्त जमीन नया खेसरा 1510 दिनांक 11.05.1999 एवं उसके पूर्व ही प्रतिवादीगण बिक्री कर चुके हैं। नया खेसरा 1521 के 03 कट्ठा पर वाद पत्र

लगातार06.09.2024

अनुसूची 01 के अनुसार दखलकार हूँ। वाद पत्र के अनुसूची 02 में दर्ज चौहद्दी नया खेसरा 1510 का है। नया खेसरा 1510 एवं 1521 उपमावती चौधराईन उर्फ उपमा देवी, पति-झपट चौधरी के नाम से फाईनल खतियान दर्ज है। उपमावती चौधराईन उर्फ उपमा देवी, पति झपट चौधरी को एक लड़का शत्रुघन चौधरी हुआ जिनके वारिसान प्रतिवादीगण हैं। दिनांक 12.01.2022 को जब अमीन ने नापी किया तब इस बात को बताया, तब मैं प्रतिवादीगण से मरम्मतनामा दस्तावेज लिखने कहा तो प्रतिवादीगण दिनांक 05.08.2022 को मरम्मतनामा दस्तावेज लिखने से इंकार कर दिये। तब मैंने नया सर्वे खतियान खाता 66 खेसरा 1510 एवं 1521 का वजाप्ता नकल लिया। मेरा दावा सही है। परीक्षण के दौरान साक्षी के पहचान पर लीगल नोटिस दिनांक 02.07.2022 को प्रदर्श-02 एवं वकालतन नोटिस का डाक रसीद को प्रदर्श-02/a. तथा दस्तावेज संख्या-2683, दिनांक 10.05.1999 को प्रदर्श-01/a. अंकित किया गया। बार-बार पुकार पर प्रतिवादीगण की ओर वादी साक्षी के प्रतिपरीक्षण हेतु कोई उपस्थित नहीं हुए।

वादी साक्षी संख्या-02 मन्दु मिस्त्री हैं जिन्होंने वाद का समर्थन करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि मैं वादी एवं प्रतिवादीगण वो विवादी जमीन को जानता हूँ। विवादी भूमि मौजा-आरापट्टी थाना नं०-86, अंचल व थाना-महिषी के अन्दर 13 डीसमल का चौहद्दी : उत्तर-वादी परमेश्वरी साह, दक्षिण-नीज, पुरब-अर्जुन चौधरी, पश्चिम-गुनेश्वर साह है। फरवरी, 2000 ई० से परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह दखलकार हैं। प्रतिवादी नवल किशोर चौधरी, चन्द्र किशोर चौधरी वगैरह ने वादी परमेश्वरी साह को 05 फरवरी, 2000 को बिक्री किया है। परमेश्वरी साह 23 वर्ष से दखलाकर हैं। केवाला में नया खेसरा 1510 गलत दर्ज हो गया है, इसलिए वादी को केस करना पड़ा है। वादी का दखल नया खेसरा 1521 पर है। बिक्रेता का 1510 नया खेसरा में कुल 81 डीसमल जमीन बिका हुआ है। 1521 खेसरा में 13 डीसमल वादी परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह को दखल है जिसकी जानकारी प्रतिवादी नवल किशोर चौधरी वगैरह को है। बार-बार पुकार पर प्रतिवादीगण की ओर वादी साक्षी के प्रतिपरीक्षण हेतु कोई उपस्थित नहीं हुए।

वादी साक्षी संख्या-03 मानिक चन्द्र यादव जो एक फॉर्मल गवाह है जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि लीगल नोटिस विद्वान श्री धर्मदेव तांती, अधिवक्ता ने परमेश्वरी साह वादी की ओर से बिक्रेता नवल किशोर चौधरी वगैरह को दिनांक 05.02.2000 के दस्तावेज को मरम्मत के लिए नोटिस भेजा था जिसे पहचानता हूँ। लीगल नोटिस विद्वान श्री धर्मदेव तांती, अधिवक्ता के तरफ से परमेश्वरी साह के द्वारा भेजा गया था। बार-बार पुकार पर प्रतिवादीगण की ओर वादी साक्षी के प्रतिपरीक्षण हेतु कोई उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात दिनांक-12.06.2024 को वादी के मौखिक निवेदन पर वादी का साक्ष्य बन्द कर वादी के बहस हेतु निश्चित कर वादी का पूर्ण बहस पूर्ण होने के उपरांत आदेश हेतु निश्चित है।

4. वादी की ओर से उपरोक्त विवादित भूमि से संबंधित कागजात को क्रमशः प्रदर्श अंकित कराया गया।

प्रदर्श संख्या-01 दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000,
प्रदर्श संख्या-01/a. दस्तावेज संख्या-2683, दिनांक 10.05.1999,

लगातार06.09.2024

प्रदर्श संख्या-02 वकालतन नोटिस दिनांक 02.07.2022,
प्रदर्श संख्या-02/a. वकालतन नोटिस का डाक रसीद,

मंतव्य

अभिलेख पर उपलब्ध वर्णित दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय पाती है कि विवादी जमीन जो मौजा-आरापट्टी, टोला-मुरली, थाना नं०-86, अंचल-महिषी, जिला-सहरसा के खाता पुराना-725, खाता नया-66, खेसरा पुराना-1398, खेसरा नया-1510, रकवा-03 कट्ठा, चौहद्दी : उत्तर-नीज मोकीर, दक्षिण-खरीददार, पुरब-गुणेश्वर साह, पश्चिम-चन्द्रशेखर झा वगैरह दस्तावेज में दर्ज है, जबकि उक्त जमीन प्रतिवादीगण ने खेसरा नया-1510 का कुल रकवा दिनांक 11.05.1999 एवं 11.05.1999 से पूर्व ही बिक्री कर चुके हैं। उक्त जमीन प्रतिवादीगण निबंधित बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 को मुख्यवान कीमत प्राप्त कर वादी को बिक्री किए। वास्तव में प्रतिवादीगण ने खाता नया-66, खेसरा-1521, रकवा-01 एकड़ 13 डी० में से 03 कट्ठा यानि 13 डीसमल चौहद्दी : उत्तर-खरीददार, दक्षिण-नीज, पूरब-अर्जुन चौधरी, पश्चिम-गुणेश्वर साह बिक्री हुआ था जिस पर वादी को दखल मिला था और वादी केवाला की तिथि दिनांक 05.02.2000 से खेसरा नया-1521 पर जोत आबाद कर दखलकार चले आ रहे हैं और खेसरा-1521 का जोत आबाद करते रहे। वादी ने स्थानीय अमीन से दिनांक 12.01.2022 को नापी कराया तो पता चला कि 1521 खेसरा के रकवा 03 कट्ठा पर वादी दखलकार हैं तो वादी ने प्रतिवादीगण से खेसरा और चौहद्दी सुधार कर मरम्मतनामा दस्तावेज लिख देने का आग्रह किया। प्रतिवादीगण आज कल करके टाल-मटोल करते रहे। अन्ततः दिनांक 02.07.2022 को प्रतिवादीगण को लीगल नोटिस निबंधित डाक से भेजा गया किन्तु लीगल नोटिस प्राप्ति उपरांत दिनांक 05.08.2022 को मरम्मतनामा दस्तावेज लिखने से इन्कार कर दिए। साथ ही जमीन से भगाने का धमकी देने लगे तब वादी द्वारा यह वाद दाखिल किया गया। विवादी भूमि अन्दर मौजा-आरापट्टी, टोला मुरली, थाना नं०-86, अंचल वो थाना-महिषी, जिला-सहरसा खाता नया-66, खेसरा नया-1521, रकवा-01 एकड़ 13 डीसमल में 13 डीसमल जिसका चौहद्दी उत्तर-खरीददार यानि कि वादी, दक्षिण-नीज यानि कि प्रतिवादी, पूरब-अर्जुन चौधरी, पश्चिम-गुणेश्वर साह है इसे पूर्ण विवरण के साथ वाद पत्र के अनुसूची 01 में दर्ज किया गया है जिस पर विपरीत दखल कब्जा के आधार पर दिनांक-05.02.2000 से वादी का स्वत्व अधिकार कायम है। बिक्रय दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 नविस्ते नवल किशोर चौधरी वगैरह वहक परमेश्वरी साह के वादी का दखल कायम है इसलिए दस्तावेज दिनांक-05.02.2000 में दर्ज भूमि को वाद पत्र के अनुसूची 02 में दर्ज किया गया है जो भूमि खेसरा नया-1510, रकवा-81 डीसमल में से 20 डीसमल गुणेश्वर साह पिता-बुचन साह को एवं 39 डीसमल सिरु साह वो शत्रुघन साह वो रंजीत साह, पिता-गुणेश्वर साह को व 22 डीसमल परमेश्वरी साह, पिता-खोखस साह यानि वादी को बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2683, दिनांक-11.05.1999 को ही प्रतिवादीगण ने बिक्री किया है और पुनः वादी ने जब प्रतिवादीगण से खाता नया-66, खेसरा-1521 से 03 कट्ठा वाद पत्र के अनुसूची 01 की भूमि खरीदगी की बात पक्का कर खरीद किए तो प्रतिवादीगण ने बिक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 से बिक्री कर वादी को दखल दे

लगातार

06.09.2024

दिए किन्तु वाद पत्र अनुसूची 01 की भूमि बिक्री कर दखल दिए किन्तु प्रतिवादीगण ने कातिब को मेल में लेकर वाद पत्र के अनुसूची 01 के बदले अनुसूची 02 दस्तावेज में दर्ज करवा दिए। मौजा-आरापट्टी, अंचल-महिषी, थाना नं०-86, थाना-महिषी, जिला-सहरसा खाता नया-66, खेसरा नया-1510 एवं 1521 वो अन्य भूमि नाम से उपमावती चौधराईन उर्फ उपमा देवी, पति-झपट चौधरी के फाईनल खतियान दर्ज है। वादी को दिनांक-12.01.2022 को अमीन द्वारा नापी के दौरान जानकारी हुई कि वादी की खरीदगी वाद पत्र में वर्णित अनुसूची 01 की भूमि दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 में दर्ज नहीं है बल्कि अनुसूची 02 की भूमि में दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को दस्तावेज दिनांक 05.02.2000 के मरम्मतनामा दस्तावेज लिख देने को कहा परन्तु प्रतिवादीगण आज-कल करते रहे वो अंतिम रूप से मरम्मतनामा दस्तावेज लिखने से इंकार कर दिया गया तब वादी द्वारा यह वाद दायर किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा सम्मन प्राप्त करने के बावजूद न तो वे उपस्थित हुए और न ही वाद के समर्थन में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वादी वाद पत्र में दर्ज विवादी जमीन पर स्वत्व के अधिकारी हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अभिलेख पर उपलब्ध एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर इस वाद में वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र के अनुसूची-01 के अनुसार नया खेसरा-1521 के 03 कट्ठा की भूमि पर हकियत घोषित करते हुए एकपक्षीय आदेश वो डिक्री प्रदान की जाती है एवं वाद पत्र में वर्णित भूमि के निश्चित निबंधित दस्तावेज संख्या-2070, दिनांक-05.02.2000 नविस्ते नवल किशोर चौधरी वगैरह वहक परमेश्वरी साह उर्फ लूचो साह में प्रतिवादीगण ने अनुसूची-01 के बदले अनुसूची-02 की भूमि गलत दर्ज कर दिया है जो वादी पर बंधनकारी नहीं है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि चौदह दिनों के अन्दर डिक्री तैयार करें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

ले०/-

अवर न्यायाधीश, प्रथम,
सहरसा।